मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।
विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 257-58
भोपाल, दिनांक 19/02/2021

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी/928/2019

आवेदकः–
मेसर्स प्रभा एक्ज़िम प्रा. लि.
115–116, मानस भवन एक्सटेंशन–11,
आर.एन.टी. मार्ग,
इन्दौर – 452 001 (म.प्र.)

विरूद्ध

अनावेदकः–
इन्दौर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी,
7, रेसकोर्स रोड,
इन्दौर – 452 001 (म.प्र.)

अन्तिम सुनवाई दिनांक 08.12.2020
माध्यस्थम आदेश दिनांक 16-02-.2021

आवेदक ने दिनांक 29.05.2019 को इस काउन्सिल के समक्ष, अनावेदक के विरूद्ध मूलधन राशि रू. 67,04,547/– एवं इस राशि पर दिनांक 27.05.2019 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 43,11,935/– तथा अनावेदक के द्वारा किये गये कार्य से आवेदक को हुए नुकसान की राशि 2,44,40,000/– एवं उस पर अधिनियम अनुसार ब्याज 1,27,55,163/– एवं आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण का व्यय 1,00,000/– रूपये इस प्रकार कुल राशि 4,83,11,647/– का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

(1) अनावेदक के द्वारा इन्दौर में स्कीम नंबर 139, एम.आर.–10 के नाला चेनलाईजेशन का वर्क आर्डर पत्र क्रमांक FOUR/Account/13-14/6122 दिनांक 27.07.2013 से मय मटेरियल के दिया गया।

(2) आवेदक द्वारा अनावेदक के अनुबंध मुताबिक कार्य संपादित कर, राशि रू. 4,69,18,433/– का बिल दिनांक 30.05.2015 भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया।

आवेदक के द्वारा मांग किये गये बकाया बिलों के विरूद्ध कार्य पूर्ण किया गया एवं अनावेदक द्वारा निम्नानुसार कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र (COMPLETION CERTIFICATE) प्रदान किया गया है :–

Name of the Work :- Construction of Nallah channelization work at Scheme no. 139 (M.R 10)

In pursuance of the clause 6 of the agreement No. 22 in form 'A' dated 10th July 2013 between the contracts M/S Prabha Exim Pvt. Ltd. 115-116 Manas Bhavan Extension , 11, R.N.T Marg , Indore and the Executive Engineer Indore Development Authority,it is hereby certified that the said contractor has duly completed the execution of the work undertaken by him there under on the day of 30th May,2016.

.....2

(3) आवेदक एव अनावेदक के मध्य कार्य एवं प्रदाय के भुगतान हेतु लिखित अनुबंध हुआ है, जो टेंडर ऑफ वर्क के रूप में कार्य करने हेतु अनावेदक के द्वारा आवेदक को दिया गया था, जिसमें 8 महिने बरसात के मौसम को मिलाकर कार्य पूर्ण करके देना था, जिसकी अनुमानित कीमत 3,11,91,000/– थी। आवेदक द्वारा संपूर्ण कार्य नियत दिनांक के तहत किये जाने पर भी अनावेदक द्वारा आवेदक को निम्नानुसार बकाया बिलों की कुल राशि रू. 67,04,547/– का भुगतान नहीं किया गया है:–

1.	बिल दिनांक 30.05.2015	फायनल बिल अमाउन्ट	रू. 20,12,703/–
2.	बिल दिनांक 30.05.2016	25% Security Amount	रू. 11,72,961/–
3.	बिल दिनांक 30.05.2017	25% Security Amount	रू. 11,72,961/–
4.	बिल दिनांक 30.05.2018	50% Security Amount	रू. 23,45,922/–
		कुल योगः–	रू. 67,04,547/–

आवेदक आई.डी.ए. (अनावेदक) का कार्यादेश पूर्ण कर रहा था एवं कार्य जब समाप्ति की ओर था, तभी अनावेदक ने 169ए स्कीम के अन्तर्गत एक नई निविदा सिमिलर वर्क की प्रकाशित की गई। चूंकि कार्यस्थल वही का था जहां आवेदक कार्य कर रहा था तो उसने मोबलाईजेशन कास्ट कम करके वर्तमान दर से भी नीचे की निविदा दर प्रस्तुत की ताकि इसका सीधा लाभ अनावेदक को प्राप्त हो। आवेदक की दर निम्न होने से उसकी निविदा स्वीकृत होने हेतु प्रतिक्षित थी। इसी दौरान आवेदक का वर्तमान कार्य पूर्ण हो गया और उसने अनावेदक से नये कार्य की जानकारी चाही एवं आवेदक ने जानना चाहा कि वह अपना सामान हटाले या क्या करें। अनावेदक कार्यपालन यंत्री द्वारा कहा गया कि निविदा सेंक्शन होने हेतु प्रस्तावित है और आवेदक के वर्तमान कार्य का कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। अधिक समय व्यतीत होने पर, जब आवेदक ने बार बार कहा कि अब इस दर पर कार्य करना संभव नहीं हैं, इसके बाद भी काफी समय तक EMD मुक्त नहीं की गयी। तदोपरांत दिनांक 23.06.2017 को EMD आवेदक को विमुक्त कर, तुरंत स्थान रिक्त करने को कहा।

आवेदक पर दबाव बनाने हेतु अनावेदक द्वारा उसके फाईनल बिल का भुगतान नहीं किया गया एवं उसकी सिक्योरिटी भी रीलिज नहीं की गई। जब आवेदक ने 3 साल अपनी EMD रूके रहने और कार्य नहीं मिलने का कार्यपालन यंत्री को हवाला दिया और कहा कि इतना नुकसान हुआ है। आर.एम.सी. प्लांट और अन्य मशीने खाली रखने की भरपाई कैसे करेंगे तो उन्होंने आवेदक को जमीन का व्यावसायिक उपयोग का हवाला देते हुए चिट्ठी जारी की और किराये की मांग की जो कि सर्वथा अनुचित है क्योंकि सारा सामान गैर उपयोग में रहा और उसका ऑपरेशनल रखने हेतु थोडा–थोडा बीच बीच में चलाते रहना पडता था जो कि नाममात्र के बराबर है, जिसके कारण आवेदक को राशि रू. 2,40,44,000/– का नुकसान हुआ, जिसका भुगतान अनावेदक द्वारा नही किये जाने पर, बकाया है, एवं इस राशि पर अधिनियम अनुसार रू. 1,27,55,163/– ब्याज हो गया है। आवेदक द्वारा बकाया राशि के भुगतान हेतु अनावेदक से दूरभाष पर, मौखिक तौर पर, दिनांक

.....3

30.05.2015, 16.05.2017, एवं 21.09.2018 को, व्यक्तिगत रूप से जाकर, बकाया राशि के भुगतान की मांग की गई किंतु अनावेदक द्वारा आवेदक की मांग का आज दिनांक तक कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब आवेदक को नहीं दिया गया।

आवेदक द्वारा अनावेदक के विरूद्ध निम्नानुसार दावा राशि के भुगतान/वसुली हेतु दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है :–

1.	बिल दिनांक 30.05.2015	फायनल बिल अमाउन्ट	रू. 20,12,703/–
2.	बिल दिनांक 30.05.2016	25% Security Amount	रू. 11,72,961/–
3.	बिल दिनांक 30.05.2017	25% Security Amount	रू. 11,72,961/–
4.	बिल दिनांक 30.05.2018	50% Security Amount	रू. 23,45,922/–
		कुल बकाया राशिः–	रू. 67,04,547/–
5.	बकाया राशि पर दिनांक 28.03.2019 तक का ब्याज		रू. 43,11,935/–
6.	नुकसान		रू. 2,44,40,000/–
7.	नुकसान राशि पर दिनांक 28.03.2019 तक का ब्याज		रू. 1,27,55,163/–
8.	लिटिगेशन एक्सपेंसेस		रू. 1,00,000/–
		कुल योगः–	रू. 4,83,11,645/–

काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 1732 दिनांक 11.06.2019, से आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र, अनावेदक को भेजकर 15 दिवस में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रकरण सुनवाई दिनांक 05.07.2019, एवं दिनांक 05.08.2019 को सुनवाई/सुलह हेतु नियत किया गया।

सुनवाई दिनांक 05.07.2019, को काउन्सिल द्वारा निर्णय लिया गया कि The council requested the parties to amicably settle the dispute and try to reconcile the case within 10 days and submit status report on next date.

सुनवाई दिनांक 05.08.2019, को निर्णय लिया गया कि काउन्सिल द्वारा आवेदक को सुना गया। अनावेदक अनुपस्थित रहे। काउन्सिल की बैठक में सुलह की कार्यवाही समाप्त की जाती है। प्रकरण में माध्यस्थम की कार्यवाही 19.08.2019 नियत की जाती है।

अपरिहार्य कारणों से दिनांक 19.08.2019 को सुनवाई नही हो सकी।

अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 08.09.2020 से, काउन्सिल के समक्ष प्रकरण की मेन्टेनिबिलिटी पर प्रिलीमिनरी आब्जेक्शन प्रस्तुत करते हुए "Application For Urgent Hearing For Taking

.....4

16/2/21

Preliminary Objections On Record" का आवेदन प्रस्तुत कर प्रिलीमिनरी आब्जेक्शन्स को रिकार्ड में लेने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण सुनवाई दिनांक दिनांक 08.12.2020 को सुनवाई/सुलह/अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत किया गया।

आवेदक मेसर्स प्रभा एवज़िम प्रा0लि0, इंदौर की ओर से श्री आशीष गुप्ता, एडवोकेट एवं अनावेदक मेसर्स इन्दौर डेव्लप्मेंट अथॉरिटी, इंदौर की ओर से श्री प्रशान्त स्थापक प्रत्यक्ष में उपस्थित।

बैठक में उभयपक्षों को सुना गया। सुनवाई दिनांक 05.08.2019 को सुलह की कार्यवाही समाप्त की गई थी एवं प्रकरण दिनांक 19.08.2019 को मध्यस्थम की कार्यवाही हेतु नियत किया गया था।

प्रकरण गुण–दोष के आधार पर अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु नियत किया गया ।

काउन्सिल ने यह पाया कि अनावेदक को काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 1732 दिनांक 11.06.2019, से आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र, अनावेदक को भेजकर 15 दिवस में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अनावेदक द्वारा, आवेदक के दावा आवेदन पत्र का बिन्दुवार उत्तर प्रस्तुत नही करते हुए, लगभाग 14 माह पश्चात प्रिलीमिनरी आब्जेक्शन्स प्रस्तुत कर, रिकार्ड में लेने हेतु निवेदन किया गया, किन्तु अनावेदक द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्शन्स, समयावधि में प्रस्तुत नही किया गया और अनावेदक का उत्तर प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त करते हुए, काउन्सिल द्वारा Allow नही किया है।

अनावेदक ने आवेदक द्वारा दावा की गई बकाया मूलधन एवं ब्याज राशि के संबंध में आपत्ति के कोई भी तथ्य/कथन प्रस्तुत नही किये गये है।

प्रकरण में अनावेदक को सूलह का एक ओर अवसर प्रदान करते हुए, आवेदक के लंबित देयको का परीक्षण करवाकर भुगतान करने हेतु अनावेदक को उद्योग आयुक्त द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 787, दिनांक 28.09.2020 लिखा गया, जिसके सन्दर्भ में अनावेदक ने पत्र क्रमांक 4015, दिनांक 22.10.2020 अन्तर्गत लेख किया कि उनके द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 08.09.2020 को प्राथमिक आपत्ति दर्ज करते हुए, काउन्सिल के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा उद्योग आयक्त के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 787, दिनांक 28.09.2020 के क्रम में अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दिनांक 20.10.2020 को प्रस्तुत किया गया है। तत्समय भी अनावेदक ने आवेदक द्वारा दावा की गई बकाया मूलधन एवं ब्याज राशि के संबंध में कोई भी तथ्य प्रस्तुत कर आवेदक का दावा अस्वीकार्य

.....5

होने का प्रस्तुतीकरण नही किया गया है।

अनावेदक द्वारा कार्यादेश क्रमांक 6122, दिनांक 27.07.2013 अन्तर्गत इन्दौर में स्कीम नंबर 139, एम.आर.–10 के नाला चेनलाईजेशन का कार्य किये जाने हेतु कार्यादेश जारी किया गया। आवेदक के द्वारा अनावेदक के किये गये कार्य के विरूद्ध निम्नानुसार अनावेदक से अप्राप्त मूलधन एवं ब्याज राशि तथा अनावेदक के कारण हुए नुकसान की ब्याज सहित अतिरिक्त राशि का दावा प्रस्तुत किया गया है :–

1.	बिल दिनांक 30.05.2015	फायनल बिल अमाउन्ट	रू. 20,12,703/–
2.	बिल दिनांक 30.05.2016	25% Security Amount	रू. 11,72,961/–
3.	बिल दिनांक 30.05.2017	25% Security Amount	रू. 11,72,961/–
4.	बिल दिनांक 30.05.2018	50% Security Amount	रू. 23,45,922/–
		बकाया मूलधन राशि :–	रू. 67,04,547/–
5.	बकाया मूलधन राशि पर ब्याज दि. 28.03.2019 तक		रू. 43,11,935/–
6.	नुकसान		रू. 2,44,40,000/–
7.	नुकसान पर ब्याज दि. 28.03.2019 तक		रू. 1,27,55,163/–
8.	लिटिगेशन एक्सपेंसेस		रू. 1,00,000/–
		कुल योग	रू. 4,83,11,645/–

अनावेदक के टेण्डर डाक्यूमेंट के एनेक्चर–ई में वर्णित स्पेशल कंडीशन्स में सिक्यूरिटी डिपॉज़िट की राशि वापिस करने की शर्त निम्नानुसार है :–

The Performance security will be refunded as follows from the date of actual completion of the work:-

1.	After one year	25%
2.	After two years	25%
3.	After three years	50%

आवेदक के दावा आवेदन पत्र एवं अभिलेख अनुसार अनावेदक द्वारा वर्क कम्पलीशन सर्टीफिकेट जारी कर, दिनांक 30.05.2015 को कार्य पूर्ण होने का उल्लेख किया गया है। कार्य पूर्ण होने के दिनांक 30.05.2015 के पश्चात फायनल बिल राशि एवं उपरोक्तानुसार तीन वर्षो में सिक्यूरिटी की राशि अनावेदक द्वारा आवेदक को विमुक्त की जानी थी, किन्तु कार्य पूर्ण होने के दिनांक 30.05.2015 के पश्चात फायनल बिल राशि एवं अनावेदक द्वारा स्वयं की शर्तो के अनुसार आवेदक को सिक्यूरिटी राशि का भुगतान नही किया गया है।

अतः कार्य पूर्ण होने के दिनांक 30.05.2015 को आवेदक के फायनल एवं अन्तिम बिल की राशि रू. 20,12,703/– एवं उपरोक्तानुसार सिक्यूरिटी की कुल राशि रू. 46,91,844/– इस प्रकार

.....6

16/12/24

कुल राशि रू. 67,04,547/– का भुगतान अनावेदक द्वारा आवेदक को नहीं किया जाना पाया गया है। अतः आवेदक को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 15 एवं 16 के अनुसार अनावेदक से बकाया राशि पर ब्याज पाने की पात्रता है। आवेदक द्वारा दिनांक 28.03.2019 तक की संगणित कुल ब्याज राशि रू. 43,11,935/– का दावा प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा दावा की गई बकाया मूलधन राशि रू. 67,04,547/– एवं दिनांक 28.03.2019 तक की संगणित कुल ब्याज राशि रू. 43,11,935/– के संबंध में अनावेदक द्वारा कोई प्रतिकार उत्तर प्रस्तुत नही किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रस्तुत अभिलेखों से, आवेदक के फायनल एवं अन्तिम बिल की राशि रू. 20,12,703/– एवं सिक्यूरिटी की कुल राशि रू. 46,91,844/– इस प्रकार कुल राशि रू. 67,04,547/– अनावेदक पर बकाया होना प्रमाणित होता है एवं इस राशि पर दिनांक 28.03.2019 तक की ब्याज राशि रू. 43,11,935/– का दावा भी स्थापित होता है।

आवेदक द्वारा अनावेदक की साईट पर आर.एम.सी. प्लांट और अन्य मशीने अनावेदक की अन्य निविदा स्वीकृत होने की प्रत्याशा में रखी होने से आवेदक द्वारा राशि रू. 2,40,44,000/– का नुकसान होना बताते हुए, इस राशि पर ब्याज राशि रू. 1,27,55,163/– तथा लिटिगेशन एक्सपेंसेस की राशि रू. 1,00,000/– इस प्रकार कुल राशि रू. 3,68,99,163/– का अतिरिक्त दावा भी प्रस्तुत किया गया है, जो सामग्री/सेवा प्रदाता की श्रेणी में नही आता है।

उक्त कुल राशि रू. 3,68,99,163/– का दावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुकूल नही होने से, इस दावा राशि को निर्णीत करने का न्यायक्षेत्र काउन्सिल का नही है। अतः आवेदक द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दावा की गई नुकसानी राशि रू. 2,40,44,000/– इस राशि पर ब्याज राशि रू. 1,27,55,163/– तथा लिटिगेशन एक्सपेंसेस की राशि रू. 1,00,000/– इस प्रकार कुल राशि रू. 3,68,99,163/– का दावा खारिज किया जाता है।

आवेदक द्वारा अन्तिम सुनवाई दिनांक 08.12.2020 को अनावेदक पर फायनल बिल एवं सिक्यूरिटी डिपॉजिट की कुल बकाया राशि रू. 67,04,547/– एवं इस राशि पर दावा आवेदन प्रस्तुती दिनांक 23.08.2019 तक की ब्याज राशि रू. 43,11,935/– तथा दिनांक 24.08.2019 से दिनांक 08.12.2020 तक की ब्याज राशि रू. 95,72,882/– इस प्रकार कुल ब्याज राशि रू. 2,05,89,364/– का ब्याज गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया है।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम–09 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काउन्सिल निर्णय देती है कि अनावेदक इन्दौर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर–452001 (म.प्र.) द्वारा, बकाया मूलधन राशि रू. 67,04,547/– (रूपये सड़सठ लाख चार हजार पांच सौ सैतालिस मात्र) एवं इस राशि पर दिनांक

.....7

08.12.2020 तक संगणित ब्याज की राशि रू. 1,38,84,817/– (रूपये एक करोड़ अड़तीस लाख चौरासी हजार आठ सौ सत्रह मात्र) कुल राशि रू. 2,05,89,364/– (रूपये दो करोड़ पांच लाख नवासी हजार तीन सौ चौसठ मात्र) एवं भुगतान दिनांक तक, के ब्याज का भुगतान आवेदक मेसर्स प्रभा एक्विजम प्रा. लि. 115–116, मानस भवन एक्सटेंशन–11, आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर (म.प्र) को आदेश पारित होने की सूचना प्राप्ति दिनांक से, 30 दिवस में किया जावे।

अनावेदक द्वारा समयावधि में भुगतान न करने पर, आवेदक, अनावेदक द्वारा उपरोक्तानुसार देय कुल राशि पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 में वर्णित प्रावधान अनुसार, भुगतान दिनांक तक, मासिक आधार पर, चक्रवृद्धि ब्याज, पाने का अधिकारी होगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 19 में निहित आज्ञापक प्रावधान अनुसार, अनावेदक, पारित इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील दिनांक तक की, कुल संगणित ब्याज सहित मूलधन राशि की 75 प्रतिशत राशि, सक्ष्म प्राधिकारी/अपील न्यायालय के समक्ष जमा कर, इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद" भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।

16/12/21